न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 95/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 30.10.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र मूल्या, जाति चमार, निवासी ग्राम अरन्यापार, तह0 छबड़ा, जिला बारां, राज0
2. दोल्या पुत्र मूल्या, जाति चमार, निवासी ग्राम अरन्यापार, तह0 छबड़ा, जिला बारां, राज0

....अपीलांट्स

बनाम

1. कम्पूरी बाई पुत्री मुल्ला, पत्नि उम्मेदा, जाति चमार, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ पटपड़ी, तह0 किशनगंज, जिला बारां, राज0
2. कैलाश उर्फ कैलाशी पुत्री मुल्ला, पत्नि किशनलाल, जाति चमार, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ पटपड़ी, तह0 किशनगंज, जिला बारां, राज0
3. भवानी सिंह पुत्र कोमल सिंह, जाति राजपूत, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत तीतरखेड़ी, पं0सं0 छबड़ा, जिला बारां, राज0
4. सरपंच ग्राम पंचायत तीतरखेड़ी, पंचायत समिति छबड़ा, जिला बारां, राज0
5. मुख्य अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, मोतीपुरा, तह0 छबड़ा, जिला बारां, राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बांरा, राज0

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री महेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट्स
श्री बनवारी लाल मीणा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 एवं 2

:::निर्णय:::

दिनांक 05.03.2020

अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा, जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 5/2017 धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 बउनवान कम्पूरी बाई वगेरा बनाम लक्ष्मण वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 क्र0 1 कम्पूरी बाई एवं रेस्पो0 क्र0 2 कैलाश उर्फ कैलाशी ने अंतर्गत धारा 75 एलआरएक्ट में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 02.05.2000 ग्राम अरन्यापार को खारिज किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 7 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नं0 83 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से खसरा नं0 7 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि की अवार्ड राशि लगभग 12,00,000/– रूपए अक्षरे बारह लाख मय ब्याज के वसूली करवाई जाने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 क्र0 1 कम्पूरी बाई एवं रेस्पो0 क्र0 2 कैलाश उर्फ कैलाशी द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 155 ग्राम अरन्यापार को खारिज करते हुए प्रश्नगत आराजी खसरां नं0 7 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नं0 83 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में सही वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण खोलने एवं अपीलांट क्रमशः 1 लक्ष्मण एवं 2 दोल्या से आराजी

खसरा नं0 7 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि की अवार्ड राशि चल व अचल सम्पत्ति से मय ब्याज वसूल कर संबंधित को भुगतान करने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेश प्रदान किये गये। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश कर अनुरोध किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत अभियान में अपीलांट्स की अनुपस्थिति में दिनांक 10.05.18 को बहस सुनकर पटवारी के बयान दर्ज करके तथा रेस्पो0 क्र0 1 कम्पूरी बाई एवं रेस्पो0 क्र0 2 कैलाश उर्फ कैलाशी के शपथपत्र रिकोर्ड पर लिये जाकर निर्णय के लिये दिनांक 23.05.18 की गई। जिसमे परीक्षण न्यायालय से टिप्पणी चाहे जाकर दिनांक 19.06.2018 को निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। जबकि नामान्तरकरण सं0 155 के अपीलांट्स के पक्ष में खुलने के बाद खसरा नं0 7 की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि थर्मल पावर प्रोजेक्ट मोतीपुरा राज0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 जयपुर के लिये अवाप्त कर ली गई तथा वर्तमान में नामान्तरकरण इसी नाम से दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.05.2000 के नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 12.09.2017 को 17 वर्ष के बाद अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। जबकि अपील मियाद बाहर होने पर भी तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र पेश नहीं किया गया था। विवादित आराजी पर अपीलांट्स के पिता के काबिज चले आ रहे थे, उनके बाद अपीलांट्स तथा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा के लिये अवाप्त भूमि पर कब्जा अपीलांट्स से ही प्राप्त किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो क्र0 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1980 में हो गया था उनके मर्णोपरांत 37 वर्ष बाद तक रेस्पो क्र0 1 व 2 द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं कि गई। अवार्ड राशि प्राप्त करने के लिये सिविल न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त हैं। नामान्तरकरण अपील में अधीनस्थ न्यायालय को अवार्ड राशि दिलाने का अधिकार नहीं होने से विदआउट ज्यूरिडिक्शन होने से निरस्तनीय होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2018 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि प्रशनगत आराजी भूमि थर्मल पावर प्रोजेक्ट मोतीपुरा राज0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 जयपुर के लिये अवाप्त कर ली गई तथा वर्तमान में नामान्तरकरण इसी नाम से दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.05.2000 के नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 12.09.2017 को 17 वर्ष के बाद अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। जबकि अपील मियाद बाहर होने पर भी तथा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र पेश नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो क्र0 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1980 में हो गया था उनके मर्णोपरांत 37 वर्ष बाद तक रेस्पो क्र0 1 व 2 द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की, जो अविश्वसनीय है। अपीलांट्स के पिता मूल्या का नाम 40–50 वर्ष से रिकोर्ड मे बतौर खातेदार है। नामान्तरकरण अपील में अधीनस्थ न्यायालय को अवार्ड राशि दिलाने का अधिकार नहीं होने से विदआउट ज्यूरिडिक्शन होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2018 निरस्त होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2018 निरस्त करने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1 एवं 2 ने बहस मे प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से बयान लेकर परीक्षण न्यायालय से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम अरन्यापार का नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 20.05.2000 खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं शपथ पत्र के आधार पर निर्णय किया है। रेस्पो0 1 व 2 के अभिभाषक के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद कोई आपत्ति नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में सही वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण खोलने एवं अपीलांट क्रमशः 1 लक्ष्मण एवं 2 दोल्या से आराजी खसरा नं0 7 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि की अवार्ड राशि चल व अचल सम्पत्ति से मय ब्याज वसूल कर संबंधित को भुगतान करने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेश प्रदान करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलांट्स 1 व 2 अवार्ड राशि हड़पना चाहते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात का आध्योपांत अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट्स का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान अपीलांट्स की अनुपस्थिति में दर्ज करके तथा रेस्पो0 क्र0 1 कम्पूरी बाई एवं रेस्पो0 क्र0 2 कैलाश उर्फ कैलाशी के शपथपत्र रिकोर्ड पर लिये जाकर परीक्षण न्यायालय से टिप्पणी प्राप्त कर दिनांक 10.05.18 को बहस सुनी गई एवं दिनांक 23.05.18 नियत कर दिनांक 19.06.2018 को निर्णय पारित किया गया। प्रशनगत आराजी भूमि थर्मल पावर प्रोजेक्ट मोतीपुरा राज0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 जयपुर के लिये अवाप्त कर ली गई तथा वर्तमान में नामान्तरकरण इसी नाम से दर्ज हैं। रेस्पो क्र0 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1980 में हो गया था उनके मर्णोपरांत 37 वर्ष बाद तक रेस्पो क्र0 1 व 2 द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की, जो अविश्वसनीय है। अपीलांट्स के पिता मूल्या का नाम 40–50 वर्ष से रिकोर्ड मे बतौर खातेदार है, जबकि रेस्पो0 क्र 1 एवं रेस्पो0 क्र0 2 के पिता का नाम मुल्ला है। उक्त विवेचन अनुसार विवादित आराजी का नामा0 सं0 155 दिनांक 02.05.2000 तहसीलदार छबड़ा द्वारा अपीलांट्स के पक्ष मे तस्दीक किया गया है, जिसको राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पो0 कम–1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अधिनियम के तहत नामान्तरकरण की अपील 17 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है, जबकि मियाद अधिनियम की धारा 5 प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय अपील पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई न्यायोचित एवं पर्याप्त कारण न होने पर अपील खारिज नहीं कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के नामान्तरकरण के संबंध में भूमि की "अवार्ड राशि चल व अचल सम्पत्ति से मय ब्याज वसूल कर संबंधित को भुगतान करने हेतु" तहसीलदार छबड़ा को आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित होने एवं निर्णय अपने क्षैत्राधिकार से बाहर होने से त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 19.06.2018 को न्यायोचित नहीं पाते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 19.06.2018 अपास्त किये जाने योग्य है।

6. उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 5/2017 बउनवान कम्पूरी बाई वगेरा बनाम लक्ष्मण वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा